न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी. – नयन गौतम आई0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
15/2023	17/02/2023	05/11/2024

कस्तुरी उर्फ कैलाश बाई पुत्री गोविन्दा पत्नी गंगाराम जाति कुम्हार निवासी बिजावता तहसील पीपल्दा हाल निवास कररिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

वादीया

बनाम

1. अभिषेक पुत्र शम्भूदयाल
2. कमलेश बाई पत्नी शम्भू दयाल
3. कैला पुत्री गोविंदा
4. गुलाब पुत्री गोविंदा
5. गोविंद पुत्र शम्भूदयाल
6. नन्दलाल पुत्र हजारा
7. पुष्पा बाई पुत्री चतुर्भुज
8. बजरंगा पुत्र गोविंदा
9. बनवारी लाल पुत्र चतुर्भुज
10. मांगी बाई पुत्री धन्ना
11. मीनाक्षी पुत्री शम्भूदयाल
12. राधेश्याम पुत्र धन्ना
13. रामपाल पुत्र धन्ना
14. रामहेत पुत्र धन्ना
15. हरिओम पुत्र हजारा
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 05/11/2024

Gautam

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बिजावता पटवार मण्डल रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की जमानंदी संवत 2075 78 के मुताबिक खाता संख्या नया 59 पुराना 58 की खसरा नंबर 150 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 153 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.95 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें वादीया का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त आराजी वादीया कैलाश बाई को अपने पिता गोविंदा से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीया कैलाश बाई के पिता गोविंदा के फौत हो जाने के बाद गोविंदा के स्थान पर वारिसान के रूप में वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह कि उक्त वर्णित आराजी में वादीया के मृतक पिता गोविंदा का फौती नामांतरकरण खोलते समय तत्कालीन हल्का पटवारी व प्रतिवादी क्रम 16 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा वादीया के वास्तविक नाम की सही जानकारी प्राप्त नहीं करते हुऐ वादीया का सामान्य बोलचाल का नाम कस्तुरी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादीया का वास्तविक नाम कैलाश बाई है। यह कि वादीया का उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक सही नाम कैलाश बाई दर्ज नहीं होने से वादीया को राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही लोक कल्याणकारी किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है और वादीया को राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये मुआवजा राशि का भी भुगतांन नही मिल पा रहा है। इसलिए वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादीया का नाम कैलाश बाई उर्फ कस्तुरी बाई पुत्री गोविंदा दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। यह कि वर्णित आराजी के संयुक्त खातेदारान प्रतिवादी क्रम 1 से लगायत 15 को संयुक्त खातेदार होने से वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया। उनके खिंलाफ किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। यह कि वादीया द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी क्रम 16 तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष नाम दुरूस्त करने बाबत् निवेदन किया गया। लेकिन तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के कार्य नही होने की बात कहकर माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की हिदायत देते हुऐ दिनांक 16.01.2023 को स्पष्ट मना करने पर वाद कारण दिनांक 16.01.2023 से लगातार उत्पन्न हो रहा है।

यह है कि वाके ग्राम बिजावता पटवार मण्डल रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा नंबर 150 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 153 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.95 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कस्तुरी पुत्री गोविंदा को दुरूस्त करते हुऐ कस्तुरी उर्फ कैलाश बाई पुत्री गोविंदा जाति कुम्हार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

वादीया की ओर से श्याम बैरवा एड0 ने वाद प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन की गई। वादी की ओर से वकील वादी विकास पारेता एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीक्रम 1 ता 15 की तलबी रजि0 एडी रसीदे पेश की गई। शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादीकम 1 ता 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब सरकार प्राप्त शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड में वादीया का नाम कैलाश बाई दर्ज है। पत्रावली में प्रतिवादीकम 16 प्रस्तुत जबाव सरकार में वादीया का नाम कस्तुरी उर्फ कैलाश बाई दर्ज करना उचित होगा। उक्त विवेचन के आधार पर कस्तुरी पुत्री गोविंदा के स्थान पर कस्तुरी उर्फ कैलाश बाई पुत्री गोविंदा जाति कुम्हार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम बिजावता पटवार मण्डल रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा नंबर 150 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 153 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.95 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कस्तुरी पुत्री गोविंदा को दुरूस्त करते हुऐ कस्तुरी उर्फ कैलाश बाई पुत्री गोविंदा जाति कुम्हार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीकम 16 को दिए जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जावे।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– नयन गौतम (आई.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
15/2023	17/02/2023	05/11/2024

कस्तुरी उर्फ कैलाश बाई पुत्री गोविन्दा पत्नी गंगाराम जाति कुम्हार निवासी बिजावता तहसील पीपल्दा हाल निवास करिरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

वादीया

बनाम

1. अभिषेक पुत्र शम्भूदयाल
2. कमलेश बाई पत्नी शम्भू दयाल
3. कैला पुत्री गोविंदा
4. गुलाब पुत्री गोविंदा
5. गोविंद पुत्र शम्भूदयाल
6. नन्दलाल पुत्र हजारा
7. पुष्पा बाई पुत्री चतुर्भुज
8. बजरंगा पुत्र गोविंदा
9. बनवारी लाल पुत्र चतुर्भुज
10. मांगी बाई पुत्री धन्ना
11. मीनाक्षी पुत्री शम्भूदयाल
12. राधेश्याम पुत्र धन्ना
13. रामपाल पुत्र धन्ना
14. रामहेत पुत्र धन्ना
15. हरिओम पुत्र हजारा
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

Gautam

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री विकास पारेता एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी **स्वीकार किया जाकर** वाके ग्राम बिजावता पटवार मण्डल रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा नंबर 150 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 153 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.95 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कस्तुरी पुत्री गोविंदा को दुरूस्त करते हुऐ कस्तुरी उर्फ कैलाश बाई पुत्री गोविंदा जाति कुम्हार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीकम 16 को दिए जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 05/11/2024 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा